रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2489] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 11, 2010/अग्रहायण 20, 1932

No. 2489] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 11, 2010/AGRAHAYANA 20, 1932

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2010

का.आ. 2928(अ).—केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड नियम, 2006 के नियम 3 के साथ पठित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों, का प्रयोग करते हुए श्री ऑस्कर फर्नांडीज, संसद सदस्य, राज्य सभा को राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड का सदस्य नियुक्त करती है और उक्त प्रयोजन के लिए भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के का.आ. 29(अ), तारीख 7 जनवरी, 2010 द्वारा जारी अधिसूचना में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।

[फा. सं. 1(6)/2010-एनबीएमएसएमई]

माधव लाल, अपर सचिव एवं विकास आयुक्त

टिप्पण : मुख्य अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में का.आ. 29(अ), तारीख 7 जनवरी, 2010 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th December, 2010

S.O. 2928(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Micro, Small and Medium Enterprises, Act, 2006 (27 of 2006), read with rule 3 of the National Board for Micro, Small and Medium Enterprises, Rules, 2006, the Central Government hereby appoints Shri Oscar Fernandes, Member of Parliament, Rajya Sabha to be member of the National Board for Micro, Small and Medium Enterprises and for the said purpose there shall be no alternation in the notification of the Government of India in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises number S.O. 29(E), dated the 7th January, 2010.

[F. No. 1 (6)/2010-NBMSME]

MADHAV LAL, Addl. Secy. and Development Commissioner

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 29(E), dated the 7th January, 2010.

IndiaCode

4728 GI/2010

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.